**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 395

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन**

**395. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों का त्वरित मूल्यांकन कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): सामान्‍य वित्‍तीय नियमावली, 2017 के नियम 229(xi) में व्‍याख्‍या की गई है कि जिन स्‍वायत्‍त संगठनों को प्रतिवर्ष 05 करोड़ रूपये से अधिक की बजटीय सहायता मिलती है, उन्‍हें प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करना चाहिए जिसके अनुरूप इनपुट आवश्‍यकताओं के साथ निष्‍पादन मापदंडों, कार्य विवरण के संदर्भ में परिणामी लक्ष्‍य तथा परिणामों में गुणात्‍मक सुधार का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया जाए। तदनुसार, अधिकांश उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं ने इन संस्‍थाओं के समग्र कार्य निष्‍पादन परिणामों सहित मंत्रालय के साथ इन संस्‍थानों की संपूर्ण क्षमता के आधार पर एमओयू हस्‍ताक्षर किए हैं।

शैक्षिक कार्य निष्‍पादन के संदर्भ में, केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों के कार्य निष्‍पादन का मूल्‍यांकन एमओयू के मापदंडों के आधार पर अनुसूची के अनुसार किया जाता है।

**\*\*\*\*\***